



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3099]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2017/कार्तिक 16, 1939

No. 3099]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2017/KARTIKA 16, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3534(अ).—यतः, मै. महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ने महाराष्ट्र राज्य के कसुडी ग्राम, जिला सतारा में इंजीनियरी क्षेत्र हेतु क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याआ का.आ. 2653(अ) दिनांक 12 नवंबर, 2008 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 111.12 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 61.12 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके दिनांक 24 अगस्त, 2016 के पत्र सं. एस.ई.जेड-2015/सी.आर-55/2014/आई.एन.डी-2 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, सीपज विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 61.12 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा **61.12 हेक्टेयर** के क्षेत्र को

उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र **50.00 हेक्टेयर** हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित गाट संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात:-

तालिका

क्र.सं.	गाट सं.	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	613 पार्ट	2.84
2.	614	16.86
3.	617/ए पार्ट	24.58
4.	622/1 पार्ट	4.52
5.	622/2 पार्ट	4.51
6.	624/ए/1 पार्ट	0.10
7.	626/ए पार्ट	0.25
8.	626/ बी पार्ट	2.18
9.	627/ ए पार्ट	2.06
10.	628/ए पार्ट	2.22
11.	632 पार्ट	1.00
12.	कुल	61.12
13.	उपर्युक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल	50.00

[फा. स. एफ. 2/578/2006-एस.ई.जेड]

सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2017

S.O. 3534(E).—WHEREAS, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for engineering sector at Kesurde Village, District Satara in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 111.12 hectares *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 2653(E) dated 12th November, 2008;

AND, WHEREAS, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation has now proposed to de-notify the an area of 61.12 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given its “No Objection” to the proposal *vide* letter no. SEZ-2015/CR-55/2014/Ind-2 dated 24th August, 2016.

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 61.12 hectares from the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 61.12 hectares**, thereby making resultant area as **50.00 hectares**, comprising the Gat numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S.No.	Gat No.	Area to de-notified (in Hectares)
1.	613 Pt	2.84
2.	614	16.86
3.	617/A Pt	24.58
4.	622/1 Pt	4.52
5.	622/2 Pt	4.51
6.	624/A/1 Pt	0.10
7.	626/A Pt	0.25
8.	626/ B Pt	2.18
9.	627/ A Pt	2.06
10.	628/A Pt	2.22
11.	632 Pt	1.00
12.	Total	61.12
13.	Total Area of SEZ after above deletion	50.00

[F. No. F. 2/578/2006-SEZ]

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.